



पत्रांक 1546

/सं0प्र0 वृन्दावन/मूखण्ड संख्या- 11B/76

दिनांक 10-2-2021

प्रदेशन-पत्र/अनन्तिम

सेवामें,

श्री नवनीत सिंह

पति/पत्नी पुत्र श्री यशवन्त सिंह

निवासी-म0न0-561क/321क, नीलकंठपुरी संजयगांधी मार्ग, आजाद नगर आलमबाग, लखनऊ

7607181107

महोदय,

परिषद की वृन्दावन योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या-11B/76 के आरक्षित मूल्य रू0 32480.00 प्रतिव0मी0 के सापेक्ष दिनांक 28/01/2021 की नीलामी में श्री नवनीत सिंह पति/पत्नी पुत्र श्री यशवन्त सिंह द्वारा उपरोक्त भूखण्ड के विरुद्ध उच्चतम बोली/बिड रू0 53000.00 प्र0व0 मी0 दी गयी है जिसे उप आवास आयुक्त (ल0ज0) अपने पत्रांक 109/लखनऊ जोन/2145 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शहर	लखनऊ	(च) विविधि शुल्क	
आरक्षण श्रेणी	GEN.	फ्रीहोल्ड पुस्तिका	रू0 50.00
हारिजन्टल श्रेणी		विज्ञापन शुल्क	रू0 15317.00
भुगतान की पद्धति	किश्त	विलेख निस्पादन शुल्क	रू0 300.00
सम्पत्ति श्रेणी	आवासीय भूखण्ड	सीवर/जल संयोजन शुल्क	रू0 9900.00
भूखण्ड का क्षेत्रफल	115.60 वर्ग मीटर	अग्रिम जल मूल्य	रू0 450.00
भूखण्ड संख्या	11B/76	साइट प्लान शुल्क	रू0 100.00
स्वीकृत दर	रू0 53000.00प्र0व0मी0	कुल योग	रू0 26117.00
(क) सम्पत्ति का विक्रय मूल्य नीलामी द्वारा	रू0 6126800.00		
(ख) पंजीकरण जमा धनराशि	रू0 187734.00		
ग) शेष धनराशि-	रू0 5939066.00		
(घ) एक मुश्त देय धनराशि (एक मुश्त) किश्तों की गणना हेतु अवशेष मूल धनराशि	रू0 3063400.00		
	रू0 2875666.00		

आपको 11.50 प्रति0 मूल धनराशि पर ब्याज के साथ आपको 72 मासिक किश्तें रू0 55472.00 की जमा करनी होंगी। प्रथम किश्त दिनांक 01/03/2021 से देय है।

- (1) किश्तों में देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने की दशा में लागू 11.50 प्रतिशत साधारण ब्याज एवं 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज इस प्रकार कुल बकाया किश्तों की धनराशिपर 13.50 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
- (2) मा0 न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्ही कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।
- (3) उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद/शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश परिवर्तित/लागू होंगे।
- (4) उपरोक्त विवरण के अंश (घ) में अंकित धनराशि ऑन लाईन सलमन विवरण के अनुसार खाते में दिनांक 31/03/2021 तक जमा करना होगा। आवंटी द्वारा उच्चतम बोली/सीलड बिड देने के उपरान्त सम्पत्ति के निरस्तीकरण का अनुशोध करने पर अथवा अदेयता पर निरस्त किये जाने की स्थिति में शत प्रतिशत टोकन/पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा। इस हेतु आवंटी का कोई क्लेम मान्य न होगा एवं निरस्त सम्पत्ति आगामी नीलामी में लगा दी जायेगी।
- (5) आवंटीन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर भूखण्ड के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
- (6) टोकन धनराशि के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते में तमामोचित होने पर यह आवंटीन विधिमान्य होगा।

Self-attested

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

क्रमशः.2 पर